सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (*S*)

No. 294

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 19/2020 – State Tax

S.O. No. 42, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) , the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the -

(a) authorised signatory of all types;

(b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and

(c) Karta of an Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of April, 2020.

[File No.VaKar / GST / 01/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,

Secretary, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संख्या. 19/2020-राज्य कर

एस. ओ. सं. 42, दिनांक- 25 जून, 2020 :- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करती है जिससे-

(क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए झारखंड माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमावली के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू मानी जायेगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 294 -- 50